<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000302010</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—285/10</u> संस्थापित दिनांक—14.07.10

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :—
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

त्विरुद्ध

01—घनश्याम मृत पुत्र हरप्रसाद जाति बाढई उम्र 40 वर्ष

02—किशन पुत्र हरप्रसाद जाति बाढई उम्र 36 वर्ष

03—विमलाबाई पत्नी किशन जाति बाढई उम्र 33 वर्ष

निवासीगण मातामढ चंदेरी।

.......आरोपीगण

राज्य द्वारा :— श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।

आरोपीगण द्वारा :— श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 23.05.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 504, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। 02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादिव की धारा 504 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 324/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी कलाबती बाई ने दिनांक 28.06.10 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को 11 बजे वह अपने घर के सामने बैठी थी तब विमलाबाई आई और बोली कि उसने उनकी रिपोर्ट की है। एवं जब उसने कहा कि आगे से तुम मत लडना तो इस बात पर से बिमलाबाई ने हिसया से मारा जिससे उसे चोट आई। फिर चिल्लाने की आवाज सुनकर घनश्याम व किशन भी आ गए और गाली—गलौच करने लगे एवं उसकी मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 226 / 10 के अंतर्गत भादिव की धारा 324, 323, 504, 364 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 504, 324/34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - क्या आरोपीगण ने दिनांक 28.06.10 को मातामढ मोहल्ला चंदेरी पर फरियादी की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया, उक्त सामान्य

आशय के अग्रसरण में फरियादी की धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 कलावती की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।
- 08— अभियोजन साक्षी 01 कलावती ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपीगण के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे हंसिए से मारा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा धारदार हथियार से उसके साथ मारपीट की गई।
- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)